उपायुक्त का कार्यालय, राँची

(जिला ग्रामीण विकास शाखा, राँची)

ज्ञापांक ...171... (ii) / जि०ग्रा०वि०शा०   दिनांक :..8.. / ..02.. / 2025

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 1016(अनु०), ग्रा०वि०, राँची, दिनांक–01/03/2017 तथा आयुक्त कार्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल द्वारा अनुमोदित रोस्टर के आलोक में राँची जिला प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरूद्ध कोटिवार रिक्ति पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। रिक्त पदों की विस्तरित विवरणी निम्नवत् है :–

क्र० सं०	आवेदित पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						
		UR	ST	SC	EWS	कुल	उम्र सीमा (01.01.2025) को आयु	मासिक मानदेय
1	जिला प्रशिक्षण समन्वयक, (जिला–स्तर)	01	00	00	00	01	22–45 वर्ष	35000/–
2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर, ऑपरेटर (जिला–स्तर)	01	00	00	00	01	18–30 वर्ष	15000/–
3	प्रखण्ड समन्वयक, (प्रखण्ड–स्तर)	03	03	00	01	07	22–45 वर्ष	18000/–
4	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर, ऑपरेटर (प्रखण्ड–स्तर)	02	02	01	01	06	18–30 वर्ष	10000/–

नोट :– उक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति प्रभावी होगी।
(रिक्त पदों की संख्या एवं कैलेण्डर की तिथि में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है)

2. सभी नियुक्तियों में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–1617, दिनांक–17/03/2023 के आलोक में आयुक्त कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची का पत्रांक–58/स्था० दिनांक–09/01/2025 से अनुमोदित कोटिवार रोस्टर प्रभावी है।

3. शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव :–

जिला स्तर पर निर्धारित पदों के लिए :–

क्र० सं०	पद का नाम	मासिक मानदेय राशि	उम्र सीमा* 01.01.2025) को आयु	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
1	प्रशिक्षण समन्वयक	35000/–	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उर्त्तीण एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	15000/–	18–30 वर्ष	मानयता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उर्त्तीण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

प्रखण्ड स्तर पर निर्धारित पदों के लिए :–

क्र० सं०	पद का नाम	मासिक मानदेय राशि	उम्र सीमा* 01.01.2025) को आयु	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
1	प्रखण्ड समन्वयक	18000/–	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उर्त्तीण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उर्त्तीण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	10000/–	18–30 वर्ष	मानयता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उर्त्तीण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

उम्र सीमा :– उम्र की गणना 01/01/2025 के आधार पर की जाएगी।

4. **नियुक्ति प्रक्रिया** :–

I) ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या 1016(अनु०), ग्रा०वि०, राँची, दिनांक–01/03/2017 के आलोक में गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया संपादित की जायेगी।

II) निर्धारित समय सीमा में ऑनलाईन आवेदन **https://applyrdd.jharkhand.gov.in/** पर आवेदन प्राप्त करने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन एवं दक्षता परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन के माध्यम से भी सूचित किया जायेगा।

III) नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्ताकों पर आधारित होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी कैलेण्डर :–

क्र० सं०	कार्यक्रम	संभावित तिथि
1	आवेदन की तिथि	14.02.2025 – 09.03.2025
2	कागजात सत्यापन की तिथि	25.03.2025 – 27.03.2025
3	सत्यापित सूची का प्रकाशन एवं दावापत्ति	05.04.2025
4	त्रुटि निराकरण एवं संशोधित सूची का प्रकाश	16.04.2025
5	आहर्ता परीक्षा की तिथि	25.04.2025
6	परिणाम प्रकाशन	30.04.2025

5. **मेधा सूची** :–

I. सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। एक पद के विरूद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयण समिति द्वारा किया जायेगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहाँ आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

II. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

III. दक्षता परीक्षा में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा।

IV. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। उपरोक्त पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।

V. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

6. **मूल्यांकन :-**

I. आवेदक का मूल्यांकन कुल 100 अंकों पर किया जायेगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा :-

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित अनुभव	दक्षता परीक्षा		कुल योग
		विषय ज्ञान	कम्प्यूटर ज्ञान	
50	20	10	20	100

उक्त अंकित अंकों की गणना हेतु तालिका परिशिष्ट-'5' पर संलग्न है। प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयके के पद के लिए उम्मीद्वारों में रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी।

II. कम्प्यूटर परीक्षा में उत्तीर्ण का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

III. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

IV. कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति द्वारा कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा ली जायेगी।

7. **राष्ट्रीयता** : आवेदक भारत का नागरिक हो।

8. **आरक्षण** : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार प्रभावी होगा।

9. **आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया :-**

I. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को संबंधित जिला के लिए ऑनलाईन आवेदन **https://ap-plyrdd.jharkhand.gov.in/** पर अंतिम निर्धारित तिथि 14/02/2025 से 09/03/2025 तक समर्पित करना होगा।

II. आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

10. **संविदा पर नियुक्ति होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त निम्नवत् होगी :-**

I. प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जायेगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का चयन समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति

में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी।

II. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

III. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

IV. प्रखण्ड स्तरीय संविदा कर्मी का पदस्थापन जिले के किसी प्रखण्ड कार्यालय में किया जा सकता है।

V. संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

VI. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।

VII. आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।

VIII. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

IX. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।

X. नियुक्त कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

XI. किसी भी विवाद की स्थिति में उपायुक्त, राँची का निणर्य अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

अनुलग्नक : यथोक्त।

[signature] 08/02/2016

उपायुक्त,
राँची।